

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

क्रिम पुकदमा अपराध क्र. ए.आ. 136 एल.आर. मु.नं. 431 वर्ष 2015

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/7/25	<p>प्रार्थी लालचन्द पुत्र गोमजी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम सिहोट बड़ी पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 338 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र गोमाराम दर्ज है, जो कि गलत है। ग्राम सिहोट बड़ी पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 339 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लालू पुत्र गोमा दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पुत्र गोमजी है। प्रार्थी के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पुत्र गोमजी दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र गोमाराम/लालू पुत्र गोमा के स्थान पर लालचन्द पुत्र गोमजी दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: मू.अ./2025/1421 दिनांक 17.07.2025 व पत्रांक: मू.अ./2025/1440 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सिहोट बड़ी पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 338 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र गोमाराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र गोमजी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम सिहोट बड़ी पटवार हल्का सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 339 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लालू पुत्र गोमा दर्ज है, के स्थान पर लालचन्द पुत्र गोमजी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: मू.अ./2025/1421 दिनांक 17.07.2025 व पत्रांक: मू.अ./2025/1440 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

